



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना इब्राहिमपुर

दिनांक 16.10.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना इब्राहिमपुर पुलिस टीम द्वारा जहरखुरानी की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी, कूटरचित नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल एवं नशीला पदार्थ बरामद। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा पुलिस टीम को ₹20,000/- से पुरस्कृत किया गया।

जनपद अम्बेडकरनगर थाना इब्राहिमपुर पर दिनांक 15.10.2026 को वादी मुकदमा अंकित कुमार पुत्र श्रीराम अचल निवासी ग्राम मूंसेपुर कलां थाना हँसवर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा यह सूचना दी गई कि दो बाइक सवार व्यक्ति नशीला पदार्थ खिलाकर वादी का सामान ले कर चले गये हैं। जिस पर तत्काल वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 211/26 धारा 123,303(2) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में टीमो का गठन कर तलाश शुरू की गयी, 24 घन्टे में घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगणो 1.भोला उर्फ उमेश केवट पुत्र सीताराम उर्फ सीतउ निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 28 वर्ष 2.अशोक उर्फ मैनु उर्फ रामनारायन पुत्र सीताराम उर्फ सीतउ निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी गयी सम्पत्ति की शत-प्रतिशत (100 %) बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 8/22 एनडीपीएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण उपरोक्त जहर खुरानी के पेशेवर एवं आदतन अभ्यस्त अपराधी व थाना नवाबगंज गोण्डा के मजारिया हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, तथा अभियुक्तगण अन्य मुकदमों में फरारी काट रहे है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.26 को समय करीब 12.00 बजे दिन में वादी अंकित कुमार पुत्र श्रीराम अचल निवासी ग्राम मूंसेपुर कलां थाना हँसवर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 27 वर्ष द्वारा डायल 112 के माध्यम से पीआरवी 7383 पर सूचना दी गई वह बेंगलुरु में साफ्टवेयर इन्जीनियर है, वहां से फ्लाइट से अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरकर टैक्सी से देवकाली बाईपास आया। जहाँ पर घर आने के लिए वाहन का इन्तजार कर रहा था, कि एक अपाची न0- UP41AO8830 पर सवार 02 अज्ञात व्यक्ति ने आकर पूछा कि कहाँ जाना है? उसके द्वारा बसखारी बताने पर दोनो व्यक्तियों द्वारा स्वयं को बसखारी का निवासी बताते हुए उसे मोटरसाइकिल से छोड़ने की बात कही। तो वह विश्वास करके उनके साथ मोटर साइकिल पर बैठकर चल दिया। रास्ते में चाय पानी पिलाने के बहाने चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिये, जिससे नशे में हो गया। तब वह सब मुझे थाना इब्राहिमपुर क्षेत्र के मठिया गांव के पास छोड़ कर मेरा एक ट्रॉली बैग जिसमें दो अदद लैपटॉप मय चार्जर, एक अदद आई-पैड मय चार्जर, एक अदद आधार कार्ड एक अदद पैन कार्ड, एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस, एक हेडफोन, एक हॉटकेस व कपड़े व एक काले पिड्डू बैग में दो अदद मोबाईल फोन, दो अदद आईडी कार्ड, चार अदद एटीएम कार्ड व कपड़े व

घरेलु सामान लेकर चले गये। होश आने पर वादी द्वारा परिजनों एवं डायल-112 को सूचना दी गई तथा थाने पर तहरीर दी गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना इब्राहिमपुर पर मु0अ0सं0 211/2026 धारा 123,303(2) बीएनएस के अंतर्गत अपाची न0- UP41AO8830 पर सवार दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा विवेचना एवं सुरागरसी-पतारसी के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.भोला उर्फ उमेश केवट पुत्र सीताराम उर्फ सीतउ निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 28 वर्ष 2.अशोक उर्फ मैनु उर्फ रामनारायन पुत्र सीताराम उर्फ सीतउ निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 32 वर्ष को वादी मुकदमा के चोरी गये सामान व घटना में प्रयुक्त कूटरचित नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल व जहर खुरानी में प्रयोग किये जाने वाले नशीला डायजापाम पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से वादी मुकदमा अंकित कुमार उपरोक्त के चोरी गयी एक ट्रॉली बैग में दो अदद लैपटॉप मय चार्जर, एक अदद आई-पैड मय चार्जर, एक अदद आधार कार्ड एक अदद पेन कार्ड, एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस, एक हेडफोन, एक हॉटकेस व कपड़े व एक काले बैग में दो अदद मोबाईल फोन, दो अदद आईडी कार्ड, चार अदद एटीएम कार्ड व कपड़े बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त जहरखुरानी की घटनाओं में संलिप्त पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्तों द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाई जाती थी तथा मोटरसाइकिल का इंजन नम्बर खुरच दिया जाता था। अभियुक्तगण अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके विरुद्ध विभिन्न जनपदों एवं जीआरपी थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त अभियोगों में गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार रहकर अभियुक्तों द्वारा अन्य जनपदों में जहरखुरानी की घटनाएं कारित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। दोनों अभियुक्त थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से वादी मुकदमा का चोरी गया सामान, घटना में प्रयुक्त कूटरचित नम्बर प्लेट लगी अपाचे मोटरसाइकिल तथा जहरखुरानी में प्रयुक्त किया जाने वाला नशीला डायजापाम पाउडर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2), 317(4), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस एवं धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 211/2026 धारा 123, 303(2), 317(2), 317(4), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस एवं धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा रहा है। जहरखुरानी की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया, अम्बेडकरनगर द्वारा ₹20,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.भोला उर्फ उमेश केवट पुत्र सीताराम उर्फ सीतउ निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 28 वर्ष।
- 2.अशोक उर्फ मैनु उर्फ रामनारायन पुत्र सीताराम उर्फ सीतउ निवासी ग्राम हतवा थाना नवाबगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त भोला उर्फ उमेश केवट उपरोक्त-

1. मु0अ0स0-211/26 धारा 303(2)/123/317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0स0-160/25 धारा 123,303(2),317(3) बीएनएस थाना रामगांव जनपद बहराईच
3. मु0अ0स0-240/20 धारा 42/45 कारागार अधि0 थाना कोतवाली बस्ती जनपद बस्ती
4. मु0अ0स0-8/20 धारा 328,379,411,420,467,468,471,34 भा0द0वि0 थाना पुरानी बस्ती
5. मु0अ0स0-9/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना पुरानी बस्ती
6. मु0अ0स0-32/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना पुरानी बस्ती
7. मु0अ0स0-202/25 धारा 303(2)/123/317(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) थाना तारून जनपद अयोध्या
8. मु0अ0स0-07/18 धारा 328,380,411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी अयोध्या
9. मु0अ0स0-09/18 धारा 8/18/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी अयोध्या
10. मु0अ0स0-185/21 धारा 328,379,411 भा0द0वि0 थाना को0नगर गोंडा
11. मु0अ0स0-187/21 धारा 401 भा0द0वि0 थाना को0नगर गोंडा
12. मु0अ0स0-188/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना को0नगर गोंडा
13. मु0अ0स0-191/24 धारा 328,379,411,413,420,467,468,471, भा0द0वि0 थाना को0नगर बलरामपुर
14. मु0अ0स0-134/25 धारा 328,394,406,413,420 भा0द0वि0 थाना को0 देहात बलरामपुर
15. मु0अ0स0-211/24 धारा 328,394,413 भा0द0वि0 थाना को0 देहात बलरामपुर
16. मु0अ0स0-89/24 धारा 328,379 भा0द0वि0 व 66बी आईटी एक्ट थाना महाराजगंज तराई बलरामपुर
17. मु0अ0स0-97/24 धारा 379,328 भा0द0वि0 थाना गौरा चौराहा बलरामपुर
18. मु0अ0स0-30/10 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी गोंडा
19. मु0अ0स0-67/10 थाना 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना जीआरपी गोंडा
20. मु0अ0स0-14/10 धारा 41,411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी बाराबंकी
21. मु0अ0स0-199/15 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना जीआरपी बाराबंकी
22. मु0अ0स0-198/15 धारा 328 भा0द0वि0 थाना जीआरपी बाराबंकी
23. मु0अ0स0-198/15 धारा 328 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक गोंडा
24. मु0अ0स0-443/17 धारा 328,379,307,411 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज गोंडा
25. मु0अ0स0-01/17 धारा 379,411 भा0द0वि0- थाना जीआरपी अयोध्या

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मैनु उर्फ रामनरायन उर्फ अशोक केवट उपरोक्त-

1. मु0अ0स0-211/26 धारा 303(2)/123/317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0स0-8/20 धारा 328,379,411,420,467,468,471,34 भा0द0वि0 थाना पुरानी बस्ती
3. मु0अ0स0-11/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना पुरानी बस्ती
4. मु0अ0स0-32/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना पुरानी बस्ती
5. मु0अ0स0-162/24 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना छावनी बस्ती
6. मु0अ0स0-255/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नवाबगंज गोंडा

7. मु0अ0स0-295/21 धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज गोंडा
8. मु0अ0स0-77/22 धारा 398,401 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज गोंडा
9. मु0अ0स0-79/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नवाबगंज गोंडा
10. मु0अ0स0-81/22 धारा 102,41,413 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज गोंडा
11. मु0अ0स0-223/19 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना वजीरगंज गोंडा
12. मु0अ0स0-399/20 धारा 401 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज गोंडा
13. मु0अ0स0-388/21 धारा 380,457 भादवि थाना वजीरगंज गोंडा
14. मु0अ0स0-42/22 धारा 380,411 भादवि थाना वजीरगंज गोंडा
15. मु0अ0स0-74/22 धारा 3(1) यूपी गै0एक्ट थाना वजीरगंज गोंडा
16. मु0अ0स0-516/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
17. मु0अ0सं0- 286/11 धारा 392,411 भादवि थाना जीआरपी बस्ती
18. मु0अ0सं0- 293/11 धारा 379,411 भादवि थाना जीआरपी बस्ती
19. मु0अ0सं0- 294/11 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी बस्ती
20. मु0अ0सं0- 295/11 धारा 41,413 भादवि थाना जीआरपी बस्ती
21. मु0अ0सं0- 40/08 धारा 147,364,302,394,120बी भा0द0वि0 भादवि थाना को0नगर गोंडा

विवरण बरामदगी-

1. एक अदद ट्रॉली बैग
2. दो अदद लैपटॉप मय चार्जर
3. एक अदद आई पैड मय चार्जर-
4. एक अदद आधार कार्ड
5. एक अदद पैन कार्ड
6. एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस
7. एक हेडफोन
8. एक हॉटकेस खाना रखने का
9. वादी मुकदमा के कपड़े
10. एक अदद काला बैग
11. दो अदद मोबाईल फोन
12. दो अदद आईडी कार्ड
13. चार अदद एटीएम कार्ड
14. स्किन केयर प्रॉडक्ट BE BODYWISE 02 अदद
15. बॉडी लोशन व एक अदद SCALP PRO का शैम्पू
16. एक अदद KLM NEVLON INTENSE मॉइश्चराइजर लोशन
17. एक अदद LAC DERM लोशन
18. एक अदद OMNIKLAR फॉर्मिंग क्लींजर
19. एक अदद साबुन बरामद

20.घटना में प्रयुक्त अपाची मोटर साइकिल जिस पर कूटरचित नम्बर प्लेट UP41AO8830 लगा है तथा इंजन नम्बर खुरचा हुआ है।

21.जहर खुरानी की घटना में प्रयोग हेतु नशीला डायजापॉम पाउडर 19 ग्राम (अभियुक्त भोला उर्फ उमेश केवट से -09 ग्राम तथा अभियुक्त अशोक उर्फ मैनु से 10 ग्राम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार यादव थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
02. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
03. का0 विनय यादव थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
04. का0 आलोक सरोज थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर
05. का0 सोनू यादव द्वितीय थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर